

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)/द्वि.एसीपी 90/अलेसे-III/8432-36

दिनांक :- 13/8/2013

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.08.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11 (7) वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में श्री भवानी शंकर किराडू, मेरिट नं० 286/90, कनिष्ठ लेखाकार, जिनकी कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि 06.08.1993 है। श्री किराडू ने 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा दिनांक 06.08.2011 को पूर्ण कर ली है। अतः श्री किराडू को दिनांक 06.08.2011 से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है।

श्री किराडू को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. (20) वित्त/ग्रप-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ7 (1) (डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा एवं गत सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

श्री किराडू का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.98 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।



निदेशक
दिनांक :- 13/8/2013

क्रमांक :- एफ4(ई)/द्वि.एसीपी 90/अलेसे-III/8432-36
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महाप्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कार्पोरेशन लि०, जयपुर।
2. श्री भवानी शंकर किराडू, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कार्पोरेशन लि०, डिपो बीकानेर।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
4. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-III]